बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:—अधिसूचना—:

संख्या–15/बि0स0से0–02–04/2008 सा0प्र0 17607/ बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा–19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) विनियमावली, 2008 में उक्त अधिनियम की धारा–12 के आलोक में निम्नलिखित संशोधन विनियमावली बनायी जाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:–

(i) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) (संशोधन) विनियमावली, 2015" कही जा सकेगी।

(ii) यह निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) विनियमावली, 2008 के नियम–5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) होगा तथा उत्तीर्ण होने के लिये 60 (साठ) प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उत्तीर्णता के लिये 50 (पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करना ही आवश्यक होगा। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा तथा प्रत्येक पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/12/2015

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–02–04/2008/सा0प्र0 17607 **पटना–15, दिनांक–** 21.12. **/2015**

प्रतिलिपि:–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु।

अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

21/12/2015

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–02–04/2008/सा0प्र0 17607 **पटना–15, दिनांक–** 21.12. **/2015**

प्रतिलिपि:–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/2015

सरकार के अपर सचिव

D\EK\Su \Karyalay aadesh